02.12.25

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अतः प्रार्थना-पत्र वादी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल किया गया। डिक्री जारी हो। पत्रावली नंबर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2015/00147

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.12.05 18:00:18 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्री गंगानगर

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पीठासीन अधिकारी: भरत जयप्रकाश मीना आई. ए. एस.

प्रकरण सं0 208/2015 GCMS:- 2015/00147 **दायर दिनांक 19—08—2015**

1—औमप्रकाश
2—जगदीश } पिसरान श्री श्योलाल जाति चमार साकिन सरदारपुरा खर्था तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

———— वादीगण

बनाम

1— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ

2—रामस्वरूप
3—सावित्रीदेवी
4—कमलादेवी
5—गुड्डीदेवी
6—लालचन्द } पुत्रगण/ पुत्रीगण श्री श्योलाल अकवाम चमार साकिनान सरदारपुरा खर्था तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर

———— प्रतिवादीगण

वाद—पत्र अन्तर्गत धारा 88, 15एएए, 207, 209, राज0 काश्त0 अधि0 1955

उपस्थित :—

1—श्री राजवीर भादू , अमरजीत सिंह सन्धू अभिभाषक वादीगण

2— श्री राजाराम भादू अभिभाषक प्रतिवादी सं0 3 ता 5

3— पैरोकार राज नायब तहसीलदार, सूरतगढ ।

—:— निर्णय —:— दिनांक :— 02.12.2025

आज पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई । अभिभाषक वादीगण , प्रतिवादी सं0 3 ता 5 एवं पैरोकार राज उपस्थित । पत्रावली का अवलोकन किया । प्रकरण के सक्षैप तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी न0 2 ता 6 के पिता श्योलाल पुत्र श्री हरीराम जाति चमार साकिन सरदारपुरा खर्था तहसील सूरतगढ के नाम रोही मौजा सरदारपुरा खर्था के खसरा न0 104 में 20—00बिघा एवं खसरा न0 95 में 15 बीघा खसरा न0 193 में 15—00 बिघा कुल तादादी 50—00 बिघा बारानी सन् 1953 संवत 2010 में आवंटन किया गया । जैरवद भूमि सन् 1953 संवत 2010 में होने के कारण उक्त रकबा 1955 पूर्व का है तथा वादीगण व प्रतिवादी न0 2 ता 6 के पिता द्वारा आंवटन से लेकर अपने जीवन पर्यान्त तथा उनके देहान्त के पश्चात वारिसान का कब्जा काश्त लगातार चला आ रहा है । वादीगण व प्रतिवादीगण न0 2 ता 6 के पिता के नाम आवंटन 1955 पूर्व का रकबा खसरा न0 95 में 15—00बिघा जो वर्तमान चकबंदी पैमूद होने पर चक 10 एस पी डी प0 न0 91/390 , 92/390 में कुल 15—00बिघा 1955 पूर्व एवं खसरा न0 104 में 20—00बीघा रकबा की चकबन्दी पैमुद होने पर चक 1 एस आर पी एम के प0 न0 188/42 मु0 न0 31 किला न0 23 ता 25 , प0 न0 188/50 मु0 न0 32 किला न0 21 , प0 न0 188/51 मु0 न0 35 किला न0 1—10—11—20 , प0 न0 188/43 मु0 न0 36 किला न0 3 ता 8, 13 ता 18 कुल तादादी 5.060 हे0 अनकमाण्ड यानि 20—00 बिघा रकबा 1955 पूर्व का दर्ज किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण न0 2 ता 6 के पिता श्योलाल के नाम चक 1 एस आर पी एम के प0 न0 188/42 मु0 न0 31 किला न0 23 ता 25 , प0 न0 188/50 मु0 न0 32 किला न0 21 , प0 न0 188/51 मु0 न0 35 किला न0 1—10—11—20 , प0 न0 188/43 मु0 न0 36 किला न0 3 ता 8, 13 ता 18 कुल तादादी 5.060 हे0 अनकमाण्ड रकबा दर्ज राजस्व रिकार्ड होने तथा [illegible] हो जाने के कारण वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करने का [illegible] करवाने के कानूनन हकदार है । इसलिए वादीगण ने जैरवाद भूमि चक [illegible] एस आर पी एम तहसील सूरतगढ की 5.060 है0 आरजी कास्त 1955 पूर्व के रकबा का वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 2 ता 6 को बहिस्सा बराबर कृषक घोषित किये जाने का निवेदन किया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.12.05 18:00:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)

वाद-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये साधारण एवं रजिस्टर्ड समन से तलब किया गया। जरिये पेरोकार राज उपस्थित हुये। प्रतिवादी सं0 3 जा 5 की तरफ से अभिभाषक राजाराम भादू उपस्थित । प्रतिवादी सं0 1 व 3 ता 5 ने वाद-पत्र का इकबाल दावा प्रस्तुत किया । वादीगण एवं प्रतिवादी न0 3 ता 5 के अभिभाषक की बहस सुनी गई। दावे एवं इकबाल दावे के आधार पर निम्न तनकीयात कायम कि गई :-

1- आया कि वादीगण व प्रतिवादी न0 2 ता 6 के अनुतोष क में वर्णित 5.060 है0 अ0क0 भूमि पिता के देहांत के बाद अपने नाम जमाबन्दी में अंकित कराने की घोषणा कराने के हकदार है?

--वादीगण

2- आया कि दावा के अनुतोष की मद ख में वर्णित 5.060 है0 अ0क0 भूमि 1955 की बाद के स्थान पर पूर्व 55 दर्ज कराने के हकदार है ? -- वादीगण

3- आया कि वादीगण व प्रतिवादी 2 ता 6 उक्त वादाधीन भूमि की 15 एएए के तहत खातेदारी प्राप्त करने के हकदार है ? -- वादीगण एव प्रतिवादी 2 ता 6

4- अन्य अनुतोष

तनकीयात कायम करने के पश्चात पक्षकारान के साक्ष्य लिये गये । साक्ष्य वादीगण द्वारा शपथ-पत्र प्रस्तुत किये गये । जिसकी प्रतिवादी द्वारा जिरह की गई । प्रतिवादी द्वारा कोई भी साक्ष्य नही करवाये गये ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

इसके पश्चात वादीगण , प्रतिवादीगण के अभिभाषक एवं पेरोकार राज की बहस सुनी गई । जिसमें वादीगण के विद्वान अभिभाषक ने वाद-पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी न0 2 ता 6 के पिता श्योलाल पुत्र श्री हरीराम जाति चमार साकिन सरदारपुरा खर्था तहसील सूरतगढ के नाम रोही मौजा सरदारपुरा खर्था के खसरा न0 104 में 20-00बिघा एवं खसरा न0 95 में 15 बीघा खसरा न0 193 में 15-00 बिघा कुल तादादी 50-00 बिघा बारानी सन् 1953 संवत 2010 में आवंटन किया गया । जैरवद भूमि सन् 1953 संवत 2010 में होने के कारण उक्त रकबा 1955 पूर्व का है तथा वादीगण व प्रतिवादी न0 2 ता 6 के पिता द्वारा आंवटन से लेकर अपने जीवन पर्यान्त तथा उनके देहान्त के पश्चात वारिसान का कब्जा काश्त लगातार चला आ रहा है । वादीगण व प्रतिवादीगण न0 2 ता 6 के पिता के नाम आवंटन 1955 पूर्व का रकबा खसरा न0 95 में 15-00बिघा जो वर्तमान चकबंदी पैमूद होने पर चक 10 एस पी डी प0 न0 91/390 , 92/390 में कुल 15-00बिघा 1955 पूर्व एवं खसरा न0 104 में 20-00बीघा रकबा की चकबन्दी पैमुद होने पर चक 1 एस आर पी एम के प0 न0 188/42 मु0 न0 31 किला न0 23 ता 25 , प0 न0 188/50 मु0 न0 32 किला न0 21 , प0 न0 188/51 मु0 न0 35 किला न0 1-10-11-20 , प0 न0 188/43 मु0 न0 36 किला न0 3 ता 8, 13 ता 18 कुल तादादी 5.060 हे0 अनकमाण्ड यानि 20-00 बिघा रकबा 1955 पूर्व का दर्ज किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण न0 2 ता 6 के पिता श्योलाल के नाम चक 1 एस आर पी एम के प0 न0 188/42 मु0 न0 31 किला न0 23 ता 25 , प0 न0 188/50 मु0 न0 32 किला न0 21 , प0 न0 188/51 मु0 न0 35 किला न0 1-10-11-20 , प0 न0 188/43 मु0 न0 36 किला न0 3 ता 8, 13 ता 18 कुल तादादी 5.060 हे0 अनकमाण्ड रकबा दर्ज राजस्व रिकार्ड होने तथा उनके देहान्त हो जाने के कारण वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करने की घोषणा करवाने के कानूनन हकदार है । इसलिए वादीगण ने जैरवाद भूमि [illegible] तहसील सूरतगढ की 5.060 है0 आरजी कास्त 1955 पूर्व के रकबा का वादीगण एव [illegible] 2 ता 6 को बहिस्सा बराबर कृषक घोषित किये जाने का निवेदन किया।

प्रतिवादी सं0 3 ता 5 के अभिभाषक ने इकबाल [illegible] तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया कि जैरवाद भूमि चक 1 एस आर पी [illegible] वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 2 ता 6 के पिता श्योलाल के नाम से आवटन है । वादीगण का वाद-पत्र डिग्री किया जाता है तो कोई आपत्ति नही है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.12.05 18:00:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)

बहस सुनने के पश्चात पूर्ण पत्रावली का अवलोकन व मनन किया गया । दस्तावैजो व साक्ष्यो पर गौर किया गया विस्तुत विवेचन तनकी वाद निम्न प्रकार से है :–

तनकी न0 1–आया कि वादीगण व प्रतिवादी न0 2 ता 6 के अनुतोष क में वर्णित 5.060 है0 अ0क0 भूमि पिता के देहांत के बाद अपने नाम जमाबन्दी में अंकित कराने की घोषणा कराने के हकदार है?

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था वादीगण के पिता के नाम उक्त जैरवाद रकबा राजस्व रिकार्ड दर्ज है । वादीगण एवं प्रतिवादी स0 2 ता 6 के पिता का देहान्त हो चुका है जिसके कारण उतराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 2 ता 6 जायज वारिसान होने के कारण उक्त जैरवाद रकबा की घोषणा करवाने के कानूनन हकदार है । वाद–पत्र में प्रस्तुत वादीगण के पिता का मृत्यु प्रमाण–पत्र एवं वारिस प्रमाण–पत्र सलग्न होने से पूर्ण रूप से यह सिद्ध हो जाता है कि जैरवाद रकबा के वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 2 ता 6 कानूनन हकदार है । तनकी न0 1 बहक वादीगण निर्णित की जाती है ।

तनकी न0 2– आया कि दावा के अनुतोष की मद ख में वर्णित 5.060 है0 अ0क0 भूमि 1955 की बाद के स्थान पर पूर्व 55 दर्ज कराने के हकदार है ?

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था उक्त जैरवाद प्रकरण में वादीगण के द्वारा उक्त रकबा 1955 पूर्व का होने के समस्त दस्तावैज पत्रावली में प्रस्तुत किये है तथा उक्त जैरवाद रकबा की पत्रावली भी प्रस्तुत की गई है जिसके पूर्ण अवलोकन से उक्त रकबा 1955 पूर्व का सिद्ध होता है । तनकी न0 2 बहक वादीगण निर्णित की जाती है ।

तनकी न0 3– आया कि वादीगण व प्रतिवादी 2 ता 6 उक्त वादाधीन भूमि की 15 एएए के तहत खातेदारी प्राप्त करने के हकदार है ?

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 2 ता 6 पर था । उक्त जैरवाद रकबा वादीगण के पिता श्योलाल को 1955 पूर्व में आवटन किया गया जिसके समस्त दस्तावैज आवटन पत्रावली के अवलोकन से उक्त रकबा 1955 बाद के स्थान पर 1955 पूर्व का होना पाया जाता है ।

तनकी न0 3 बहक वादी निर्णित की जाती है ।

इस प्रकार तनकीयात न0 1 ता 3 बहक वादी एवं तनकी न0 4 विरूद्ध प्रतिवादी न0 1 निर्णित की चुकी है । वादी उक्त जैरवाद रकबा चक 2 एल जी एम के प0न0 239/19 के किला न0 12 का खातेदार कृषक घोषित तथा कब्जा कास्त होने के कारण कानूनी अधिकार रखता है । इसलिए उक्त वाद–पत्र स्वीकार किया जाना हम उचित समझते है ।

अतः उक्त विवेचन अनुसार दावा वादी स्वीकार किया जाकर **वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 2 ता 6 के पिता श्योलाल पुत्र श्री हरीराम के नाम वाके चक 1 एस आर पी एम तहसील सूरतगढ के प0 न0 188/42 मु0न0 31 के किला न0 23 ता 25/0.759 है0 , प0न0 188/43 मु0न0 36 के किला न0 3 ता 8, 13 ता 18/3.036 है0 , प0न0 188/50 मु0न0 32 के किला न0 21/0.253 है0 , प0न0 188/51 मु0न0 35 के किला न0 1–10–11–20/1.012 है0 कुल 5.060है0 अ0क0 आरजी काश्तकार 1955 से पूर्व रकबा उनके देहान्त होने के बाद वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 2 ता 6 को बहिस्सा बराबर आरजी काश्तकार 1955 से पूर्व कृषक घोषित किया जाता है। तथा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 2 ता 6 के नाम अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है।** पर्चा डिक्री जारी हो । खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 02.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
(राजस्व) सूरतगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.12.05 18:00:18 IST
Reason: SelfAttested

(आदेश 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकद्दम इश्तदाई

अज अदालत –सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी , सूरतगढ जिला श्री गंगानगर

बइजलास – श्री भरत जयप्रकाश मीना आई. ए. एस.

अनवान :

1–औमप्रकाश
2–जगदीश } पिसरान श्री श्योलाल जाति चमार साकिन सरदारपुरा खर्था तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

———— वादीगण

बनाम

1– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ

2–रामस्वरूप
3–सावित्रीदेवी
4–कमलादेवी
5–गुड्डीदेवी
6–लालचन्द } पुत्रगण/ पुत्रीगण श्री श्योलाल अकवाम चमार साकिनान सरदारपुरा खर्था तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर

———— प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 15एएए, 207, 209 आर. टी. ए. मुकदमा न0 208 वर्ष 2015 यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर अभिभाषक वादीगण श्री राजवीर भादू, प्रतिवादी न0 3 ता 5 राजाराम भादू एवं राज पैरोकार तहसीलदार सूरतगढ के पेश होने पर हुक्म दिया जाता है। वाद वादीगण निम्न प्रकार से आदेशित कर डिक्री जारी करने के आदेश प्रदान किये जाते है :–

वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 2 ता 6 के पिता श्योलाल पुत्र श्री हरीराम के नाम वाके चक 1 एस आर पी एम तहसील सूरतगढ के प0 न0 188/42 मु0न0 31 के किला न0 23 ता 25/0.759 है0 , प0न0 188/43 मु0न0 36 के किला न0 3 ता 8, 13 ता 18/3.036 है0 , प0न0 188/50 मु0न0 32 के किला न0 21/0.253 है0 , प0न0 188/51 मु0न0 35 के किला न0 1–10–11–20/1.012 है0 कुल 5.060 है0 अ0क0 आरजी काश्तकार 1955 से पूर्व रकबा उनके देहान्त होने के बाद वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 2 ता 6 को बहिस्सा बराबर आरजी काश्तकार 1955 से पूर्व कृषक घोषित किया जाता है। तथा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 2 ता 6 के नाम अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है।

नोज ....×..............मुबलिग ......×..........बाबत ....×............खर्चा इस मुकदमें में मय सूद बशहर ....×..........फसदो की पालना.........×...........आज की तारीख से तारीख वसुलया वो तक की अदा करे । बसिन्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 02.12.2025 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.12.05 18:00:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (श्रीगंगानगर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ